समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र.   / / 2018 निगरानी

निगरानी/2564/2018/पन्ना/भू.रा

बलवान सिंह पुत्र श्री सरिया यादव निवासी मझगावं तहसील अजयगढ, पन्ना ...**निगरानीकर्ता**

श्री एस. आर. जैन अभि॰ द्वारा आज दि॰ 25.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 25-4-18

विरुद्ध

1 रामअवतार पुत्र गंसू अहिरवार निवासी ग्राम डांडे का वारा तहसील अजयगढ जिला पन्ना

2 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर पन्ना

...........रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश प्र0 क्र0 99अ–21X14–15 दिनांकी 05/04/2018 द्वारा पारित अपर आयुक्त सागर संभाग सागर

श्रीमान महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य–

1 यहकि, ग्राम मझगांव तहसील अजयगढ स्थित भूमि सर्वे क0 770/1 रकवा 83.16 हे0 भूमि म0 प्र0 शासन के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि के अंश भाग को गंसू अहिरवार को वर्ष 1974 रकवा 2.023 हे0 बंटन मे म0 प्र0 शासन द्वारा प्रदाय की गई।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2564/2018/पन्ना/भू.रा. बलवान विरूद्ध रामअवतार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री बलवान के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक, अभिभाषक को पूर्व में दिनांक 04-07-2018 को सुना गया था । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि खसरा नंबर 770/1 के अंशभाग रकबा 2.023 हे. बंटन में प्रदाय की गई थी, जिसे बिना कलेक्टर की अनुमति के बिक्रय की गई । बंदोबस्त दौरान खसरा नंबर 770/1 का नया नं 748 रकबा 2.03 हे. भूमि का बिक्रय किया गया जो शासकीय पट्टे की भूमि थी । रा.नि. 2002 पेज 250, रा.नि. 2007 पेज 218 (उच्च न्यायालय) अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित है कि पक्षकारों के भूमि स्वामी होने पर कलेक्टर की बिना अनुज्ञा अंतरित नहीं की जा सकती, ऐसी अनुज्ञा के बिना अंतरण शून्य एवं अपास्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त की गई । तथा साथ ही तहसीलदार अजयगढ़ को निर्देशित किया कि वह कलेक्टर पन्ना के आदेशानुसार प्रश्नाधीन भूमि म.प्र. शासन मद में दर्ज कर पालन प्रतिवेदन एक माह में इस न्यायालय में भेजा जावे । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 16.7.18	